माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

ई–मेल : mpbse@mp.nic.in वेब साइट : www.mpbse.nic.in

क्रमांक / 3268 / प.स. / 2023 भोपाल दिनांक 26 / 12 / 2023

प्रति,

समस्त– प्राचार्य,
मण्डल से संबद्धता प्राप्त शासकीय / अशासकीय संस्थायें,
मध्यप्रदेश।

विषयः–कक्षा 11वीं / 12वीं में विषय संबंधी त्रुटि सुधार की सुविधा प्रदान करने संबंधी।
संदर्भः–मण्डल का आदेश पत्र क्र. / 3211–3212 / प.स. / 2023, भोपाल दिनांक 10.10.2023।

--//--

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से शैक्षणिक सत्र 2023–2024 के लिये छात्रहित को दृष्टिगत रखते हुये संस्था द्वारा ऑनलाईन प्रविष्टि में विषयों में की गई त्रुटि के सुधार की सुविधा दिनांक 31 अक्टूबर 2023 तक प्रदान की गई थी। संदर्भित पत्र में उल्लेखित शर्तो के आधार पर पुनः दिनांक 02.01.2024 तक रूपये 500/– प्रति विषय अर्थदण्ड के साथ विषयों में त्रुटि सुधार की ऑनलाईन सुविधा प्रदान की जाती है।

2– संबंधित संस्था प्राचार्य को त्रुटि सुधार के साथ एम.पी. ऑनलाईन पोर्टल पर संबंधित छात्र की कक्षा 11वीं उत्तीर्ण की अंकसूची एवं इस आशय का घोषणा–पत्र (पत्र के साथ संलग्न है) अपलोड करना अनिवार्य होगा, कि जिन छात्रों के विषयों में त्रुटि सुधार किया गया है, उन छात्रों ने कक्षा 11वीं में इन्ही विषयों का अध्ययन किया गया है तथा संस्था द्वारा इन्ही विषयों की अंकसूची छात्रों को जारी की गई है। यदि यह पाया जाता है, कि किसी संस्था द्वारा तथ्यों को छुपाते हुये गलत तरीके विषयों में संशोधन किया गया हैं, तो शासकीय विद्यालय होने की स्थिति में संबंधित संस्था प्राचार्य के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल को लिखा जावेगा एवं अशासकीय विद्यालय होने की स्थिति में संबंधित विद्यालय की संबद्धता तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी।

कृपया नियत तिथि तक त्रुटि पूर्ण विषय का संशोधन करना सुनिश्चित करे, उक्त तिथि के पश्चात किसी दशा में विषय संशोधन मान्य नही किये जावेगे।

संलग्नः– घोषणा–पत्र।

सचिव,
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृष्ठांकन क्रमांक / 3269 / प.स. / 2023, भोपाल, दिनांकः 26 / 12 / 2023

प्रतिलिपि :

1. प्रमुख सचिव / सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग / आदिम जाति / अनु.जाति, कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल।
3. आयुक्त, आदिवासी विकास, सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल।
4. आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास, श्यामला हिल्स, मध्यप्रदेश, भोपाल।
5. समस्त–संयुक्त संचालक, स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश।
6. समस्त–सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश।
7. समस्त–जिला शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लिखा जाता है कि ऐसी संस्था प्राचार्य के विरूद्ध कार्यवाही कर मण्डल को अवगत करावे।
8. पंजीयक परीक्षा / जनसम्पर्क अधि. / विधि अधिकारी / चीफ सिस्टम ऑफीसर / वित्ताधिकारी, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश भोपाल।
9. आंचलिक अधिकारी / समस्त–संभागीय अधिकारी, आंचलिक / संभागीय कार्यालय, मा.शि.म.,म.प्र..।
10. समस्त–सहायक सचिव / कक्षाधिकारी, परीक्षा संभाग, मा.शि.म.,म.प्र.,भोपाल।
11. नि.स.–अध्यक्ष / सचिव / अतिरिक्त सचिव / परीक्षा नियंत्रक / उपसचिव, मा.शि.म.,म.प्र.,भोपाल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव,
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
मध्यप्रदेश भोपाल

घोषणा–पत्र

मैं...एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि छात्र............................ पिता...आवेदन क्रमांक..कक्षा 11वीं में ....संकाय में अध्ययनरत था। कक्षा 11वीं के ऑनलाईन आवेदन में त्रुटिवश ....संकाय दर्ज हो गया था।

मेरे द्वारा छात्र के कक्षा 12वीं के परीक्षा आवेदन पत्र में विषय/संकाय संबंधी जो संशोधन किया गया है, वह छात्र द्वारा कक्षा 11वीं में चयनित विषय/संकाय अनुसार ही है, तथा किए गए संशोधन का संपूर्ण उत्तरदायित्व मेरा है।

प्राचार्य का नाम

पदमुद्रा

संस्था क्रमांक.................